UPBJ010044812025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नं01) बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP06041

सत्र परीक्षण संख्या– 1552/2025

उ0प्र0 राज्य बनाम चउवा उर्फ अमर गहर आदि

मुकदमा अपराध सं0 201/2023
धारा 323, 308, 504, 506 भा0दं0सं0
थाना चाँदपुर, जिला– बिजनौर।

<u>आरोप</u>

मैं, राम अवतार यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर आप अभियुक्तगण **चउवा उर्फ अमर गहर एवं गुलशन कुमार** को निम्नवत आरोपित करता हूँ–

<u>प्रथमः</u> यह कि दिनांक 04–05–2023 को समय 19:00 बजे स्थान इशिका ब्यूटी पार्लर के पास हुकुमतपुर रोड़, थाना चाँदपुर, जिला बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत आपने वादी मुकदमा ओमप्रकाश के पुत्र कुलदीप चन्द्रा को सामान्य आशय के अग्रसरण में सरिया व धारदार हथियार से मारपीट करके चोटें उन परिस्थितियों में पहुँचायी, यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

<u>द्वितीयः</u> यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा ओमप्रकाश के पुत्र कुलदीप चन्द्रा को सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट करके उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

<u>तृतीयः</u> यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा ओमप्रकाश के पुत्र कुलदीप चन्द्रा को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियां अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

<u>चतुर्थः</u> यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा ओमप्रकाश के पुत्र कुलदीप चन्द्रा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉंक 28–05–2025 **(राम अवतार यादव)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाये व समझाये गये, जिससे उन्होंने इन्कार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉंक 28–05–2025 **(राम अवतार यादव)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2025.05.28 16:48:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नं01) बिजनौर।
सत्र परीक्षण संख्या– 1552 / 2025
उ0प्र0 राज्य बनाम चउवा उर्फ अमर गहर आदि

मुकदमा अपराध सं0 201 / 2023
धारा 323, 308, 504, 506 भा0दं0सं0
थाना चाँदपुर, जिला– बिजनौर।

<u>दिनाँक 28–05–2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण चउवा उर्फ अमर गहर व गुलशन कुमार उपस्थित हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं।

आरोप के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य का सन्दर्भ दिया। उपलब्ध साक्ष्य का विधिवत् परिशीलन किया गया। इस स्तर पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण चउवा उर्फ अमर गहर व गुलशन कुमार के विरुद्ध धारा 308 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अपराध हेतु आरोप विरचित किया जाना विधिसंगत पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धारा का आरोप नियमानुसार विरचित किया जाय।

दिनाँक 28–05–2025

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।

तद्नुसार अभियुक्तगण चउवा उर्फ अमर गहर व गुलशन कुमार के विरूद्ध धारा 308 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन, दिनांक 18–06–2025 को पेश हो। साक्षीगण जरिये समन तलब हों।

दिनाँक 28–05–2025

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।